रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242093
CG-DL-E-20012023-242093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944
No. 298] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

का.आ. 312(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4907 (अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 4695 तारीख 17 अक्टूबर, 2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) द्वारा पाइपलाइन बिछानें के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतीया जनता को तारीख 11 नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइप लाइन बिछानें के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछानें के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि मे उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) में निहित होगा ;

पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।

अनुसूची

मंडल :धोन		**जिला : कर्नूल**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	मंडलका नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धोन	एदुपेंटा	845/2	00	07

मंडल :कृष्णागिरी		**जिला : कुर्नूल**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	मंडलका नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कृष्णागिरी	चित्याला	**801/1**	00	05
2			761/2	00	20
3	कृष्णागिरी	कंबालापाडु	240(**नहर**)	00	11

मंडल : गुडूर		**जिला : कर्नूल**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गुडूर	बुदीडापाडु	124/2B3	00	01

मंडल :कल्लुरु		**जिला : कुर्नूल**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कल्लुरु	पारला	179/1	00	01

मंडल :कुर्नूल		**जिला : कुर्नूल**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुर्नूल	गोपालासिंगावरम	309	00	02

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

S.O. 312(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and S.O.No.4907(E) dated the 17th October 2022, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 4695 dated the 17th October 2022, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 11 November 2022.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Dhone		**Dist: Kurnool**		**State: Andhra Pradesh**	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dhone	Eddupenta	845/2	00	07
Mandal: Krishnagiri		**Dist: Kurnool**		**State: Andhra Pradesh**	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Krishnagiri	Chityala	801/1	00	05
2			761/2	00	20
3	Krishnagiri	Kambalapadu	240(Canal)	00	11
Mandal: Gudur		**Dist: Kurnool**		**State: Andhra Pradesh**	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gudur	Budidapadu	124/2B3	00	01
Mandal: Kallur		**Dist: Kurnool**		**State: Andhra Pradesh**	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kallur	Parla	279/1	00	01
Mandal: Kurnool		**Dist: Kurnool**		**State: Andhra Pradesh**	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kurnool	G.Singavaram	309	00	02

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA